कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक. 06/07/2023

//आदेश//

क्रमांक 462/176/आ.उ.शि./अराज.स्था./23 :: शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित प्रयोगशाला परिचारकों को प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर वेतन बैण्ड रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन रु 2400/– (लेवल मेट्रिक्स–6) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में पदस्थ किया जाता है :–

स.क.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना स्थान
1	2	3	4
1.	श्री परमेश्वर सिंह	शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या महाविद्यालय पी.जी., अंबिकापुर जिला–सरगुजा	शासकीय नवीन महाविद्यालय रनहत, जिला–बलरामपुर
2.	श्री भीष्म कुमार नेताम	शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम, जिला बीजापुर	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीजापुर
3.	श्री विनय कुमार	शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर
4.	श्री उमेश कुजूर	शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर	शासकीय कन्या महाविद्यालय, सूरजपुर
5.	श्रीमती कृतिका नेताम	शासकीय इंदरू केवट कन्या पी.जी. महाविद्यालय कांकेर	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, कांकेर
6.	श्री कमलेश कुमार	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद	शासकीय नवीन महाविद्यालय दाढ़ी, जिला बेमेतरा
7.	श्रीमती आशा उरांव	शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा	शासकीय नवीन महाविद्यालय बांकीमोंगरा, कोरबा
8.	श्रीमती ओमेश्वरी ठाकुर	शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
9.	श्री बिजेन्द्र कुमार सिंह	शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई
10.	श्री प्रशांत प्रकाश गौतम	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	शासकीय महाविद्यालय रघुनाथ नगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज
11.	श्री धरमु राम राउत	बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	शासकीय कन्या महाविद्यालय, बालोद
12.	श्री जयंत कुमार साहू	आचार्य पंत श्री गृधमुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा	आचार्य पंत श्री गृधमुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा

स.क.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना स्थान
1	2	3	4
13.	श्री खोमेश्वर सारथी	शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला–बालोद	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौंडीलोहारा, जिला बालोद
14.	श्री जगदीश प्रसाद पटेल	शासकीय कि. कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायगढ़	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चपले, जिला रायगढ़
15.	श्री शिव कुमार थवाईत	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे स्नातक महाविद्यालय, सारंगढ़	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी
16.	श्री बृजभान कंवर	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव विज्ञान पी.जी. महाविद्यालय बिलासपुर	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव विज्ञान पी.जी. महाविद्यालय बिलासपुर
17.	श्री गंगाराम जायसवाल	शासकीय इंदिरा गांधी महाविद्यालय, पण्डरिया,	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी
18.	श्री अश्वनी कुमार चन्द्राकर	शासकीय इंदिरा गांधी महाविद्यालय, पण्डरिया,	नवीन शासकीय महाविद्यालय, विश्रामपुरी, जिला कोण्डागांव
19.	श्रीमती सुषमा प्रधान	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे स्नातक महाविद्यालय, सारंगढ़	नवीन शासकीय महाविद्यालय, कुसमुरा, जिला रायगढ़
20.	श्री कृष्ण कुमार साहू	शासकीय गजानन्द अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुढ़ियारी, जिला रायपुर
21.	श्री राजकुमार यादव	शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर	शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर
22.	श्री भरत लाल साव	शासकीय महाविद्यालय, सीपत जिला–बिलासपुर	शासकीय महाविद्यालय, सीपत जिला–बिलासपुर
23.	श्री छत्तर दास बैरागी	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर	शासकीय महाविद्यालय कुटरू, जिला बीजापुर
24.	श्रीमती सरस्वती राज	शासकीय मुकुटधर पाण्डे महाविद्यालय कटघोरा जिला–कोरबा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सारागांव, जिला जांजगीर–चाम्पा
25.	श्रीमती अल्का चन्द्रा	शासकीय महाविद्यालय जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा	शासकीय महाविद्यालय, हसौद, जिला जांजगीर–चाम्पा
26.	श्री चन्द्र कुमार जायसवाल	अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय पाण्डातराई	अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय पाण्डातराई
27.	श्री नेमेन्द्र कुमार चन्द्राकर	शासकीय वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा, जिला–जांजगीर–चांपा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, ठेलकाडीह, जिला राजनांदगांव
28.	श्री नेलम दीवान	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	शासकीय महाविद्यालय जालबांधा, जिला राजनांदगांव
29.	श्री संजय कुमार पटेल	शासकीय महाविद्यालय डभरा जिला–जांजगीर चांपा	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, सारंगढ–बिलाईगढ़
30.	कु. सुनीता कुमारी	शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर, कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर, कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
31.	श्रीमती यशोधरा मानिकपुरी	शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय, कवर्धा	शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय, कवर्धा
32.	श्री ब्रजेश कुमार	शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय, कवर्धा	शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय, कवर्धा

स.क.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना स्थान
1	2	3	4
33.	श्री तामेन्द्र कुमार	शासकीय गजानन्द अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा	शासकीय नवीन महाविद्यालय मोपका निपनिया, जिला बलौदाबाजार
34.	श्री शेष नारायण उईके	शासकीय पं. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, गंडई	नवीन शासकीय महाविद्यालय बस्तर, जिला बस्तर
35.	श्री सूर्यकांत मानिकपुरी	शासकीय महाविद्यालय कटघोरा जिला–कोरबा	शासकीय महाविद्यालय धौरपुर, जिला सरगुजा
36.	कु. रोशनी ध्रुव	शासकीय महाविद्यालय, दुर्गकोन्दल, जिला–कांकेर	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, कांकेर
37.	श्री राजेन्द्र कुमार बघेल	शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा जिला–बालोद	शासकीय महाविद्यालय धनोरा, जिला कोण्डागांव
38.	श्री बृजेश कुमार कोरी	शासकीय महाविद्यालय, मस्तुरी जिला–बिलासपुर	शासकीय महाविद्यालय, मस्तुरी जिला–बिलासपुर
39.	श्री गोपाल सिंह मरावी	शासकीय स्व. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, परपोंड़ी
40.	श्री मुकेश कुमार नायक	शासकीय महाविद्यालय, पुसौर जिला–रायगढ़	शासकीय महाविद्यालय सरिया, जिला–रायगढ़
41.	कु. शांता भगत	के.एम.टी. शासकीय कन्या महाविद्यालय, रायगढ़	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, रायगढ़
42.	श्री राजेश कुमार राज	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, बिलासपुर
43.	श्री धनेश्वर कुमार साहू	शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तुरी	शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तुरी
44.	श्री कुमार कन्नौजे	शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग	शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग
45.	श्री शेष नारायण साहू	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद
46.	विमला मिंज	शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जॉजगीर	शासकीय एमएमआर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चाम्पा
47.	श्री आलोक कुमार चन्द्रानिया	शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, धनोरा जिला–दुर्ग
48.	श्रीमती अंजली सोनकर	शासकीय जे.यो. छ.ग. पी.जी. महाविद्यालय रायपुर	शासकीय जे.यो. छ.ग. पी.जी. महाविद्यालय रायपुर
49.	श्री फलित राम साहू	शासकीय महाविद्यालय, बोड़ला जिला–कबीरधाम	आचार्य पंत श्री गृधमुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कबीरधाम
50.	रानी चौहान	शासकीय कमलादेवी महिला पी.जी. महाविद्यालय, राजनांदगांव	शासकीय कमलादेवी महिला पी.जी. महाविद्यालय, राजनांदगांव
51.	श्री सागर राम दीवान	शास. खेमराज लक्ष्मीचंद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा	शास. खेमराज लक्ष्मीचंद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा
52.	श्रीमती हरिप्रिया साहू	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय रायपुर	शासकीय जे.यो. छ.ग. पी.जी. महाविद्यालय रायपुर

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना स्थान
1	2	3	4
53.	श्री जय प्रकाश जगत	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा जिला–बलौदाबाजार	नवीन शासकीय महाविद्यालय जेवरतला, वि.ख. डौण्डीलोहारा, जिला बालोद
54.	श्री गिरधारी राम सलाम	शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय, कोटा	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, बिलासपुर
55.	श्री रामकुमार दिव्य	शासकीय महाविद्यालय डभरा जिला–जांजगीर चांपा	शासकीय महाविद्यालय कुसमुरा जिला रायगढ़
56.	श्री नरेश कुमार गोटे	शासकीय महाविद्यालय, मानपुर, जिला मोहला मानपुर अं. चौकी	नवीन शासकीय महाविद्यालय लोहांडीगुड़ा, जिला बस्तर
57.	श्री संतोष कुमार कौशिक	शासकीय नवीन महाविद्यालय पिपरिया जिला–कबीरधाम	शासकीय नवीन महाविद्यालय पिपरिया जिला–कबीरधाम
58.	श्री रोशन लाल शेर	शासकीय महाविद्यालय, मस्तुरी जिला–बिलासपुर	शासकीय हीरालाल काव्योपाध्याय महाविद्यालय अभनपुर, जिला रायपुर
59.	कु. प्रतिमा चौहान	शासकीय कि. कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायगढ़	शासकीय नवीन महाविद्यालय पुसौर, जिला रायगढ़
60.	श्री क्लिंटन	शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा जिला–बालोद	शासकीय नवीन महाविद्यालय माहूद (बी), जिला बालोद
61.	श्री चन्द्रशेखर	शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर,	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय धनोरा, जिला दुर्ग
62.	कु. पुष्पा चुरेन्द्र मारगिया	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय नारायणपुर	शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय नारायणपुर
63.	श्रीमती आरती नामदेव (गुनी)	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	शासकीय जे.यो. छ.ग. पी.जी. महाविद्यालय रायपुर
64.	श्रीमती अनिता सिंह	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे स्नातक महाविद्यालय, सारंगढ़	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे स्नातक महाविद्यालय, सारंगढ़
65.	श्रीमती जागृति सोनकर	शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	शासकीय जे.यो. छ.ग. पी.जी. महाविद्यालय रायपुर
66.	उपमा मार्को	शासकीय महाविद्यालय, पेण्ड्रा जिला–गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय गौरेला पेण्ड्रा मरवाही
67.	कु. सुकन्या श्रीवास	शासकीय महाविद्यालय, मस्तुरी जिला–बिलासपुर	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय बिलाईगढ़ सारंगढ़
68.	श्री तिहारू राम पाटिल	शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला–बालोद	शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला–बालोद
69.	श्रीमती कुसुम साहू	शासकीय कमला देवी राठी महिला पी.जी. महाविद्यालय राजनांदगांव	शासकीय कमला देवी राठी महिला पी.जी. महाविद्यालय राजनांदगांव
70.	श्री विजय कुमार देवांगन	चन्दूलाल चन्द्राकर शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय धमधा	चन्दूलाल चन्द्राकर शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय धमधा
71.	श्री राजेन्द्र भारती	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे स्नातक महाविद्यालय, सारंगढ़	शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना जिला महासमुंद
72.	श्री गोवर्धन चन्द्रवंशी	आचार्य पंथ श्री गृन्धमुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा	शासकीय महाविद्यालय जिला छोटेडोंगर, जिला नारायणपुर

स.क.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना स्थान
1	2	3	4
73.	श्री लवलेश कुमार वर्मा	शासकीय पं. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, गंडई	शासकीय नवीन महाविद्यालय बोड़ला, जिला कबीरधाम
74.	श्री मुकेश कुमार भुआर्य	शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	शासकीय महाविद्यालय देवरबीजा, जिला बेमेतरा
75.	श्री लखन लाल साहू	शासकीय महाविद्यालय, छुरा जिला–गरियाबंद	नवीन शासकीय महाविद्यालय बासीन, जिला बालोद
76.	श्री रामफल राजपूत	आचार्य पंथ श्री गृन्धमुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा	शासकीय नवीन महाविद्यालय पिपरिया, जिला कबीरधाम
77.	श्रीमती देहुती बेलगहे	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय गरियाबंद
78.	श्री हीरा लाल साहू	शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
79.	श्रीमती गायत्री बंछोर	शासकीय महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई जिला–दुर्ग	शासकीय महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई जिला–दुर्ग
80.	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव
81.	श्री पंकज कुमार झा	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	शासकीय नवीन महाविद्यालय चिल्हाटी जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी
82.	श्री किशोर कुमार बंजारे	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव
83.	श्री शेख वाहिद सिद्दीकी	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	शाासकीय ला.च. शाह महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी
84.	श्री भुवन लाल **दिव्यांग**	शासकीय भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौण्डीलोहारा, जिला बालोद
85.	कु. सायरा बेगम कुरैशी **दिव्यांग**	शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागाँव	शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागाँव

1. पदोन्नति कार्यवाही छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ –20–3/2019/1–3 दिनांक 17.02.2020 के साथ संलग्न प्राप्त माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका WP(PIL) No. 91/2019, Santosh Kumar Vs State of Chhattisgarh & another, WP(S) No. 9778/2019, Vishnu Prashanna Tiwari Vs State of Chhattisgarh & another में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

2. यदि कोई पदोन्नत कर्मचारी पदोन्नति से इंकार करना चाहता है तो वह 10 दिवस के भीतर संबंधित प्राचार्य को लिखित में अवगत कराएगा। पदोन्नति अस्वीकार करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों को संबंधित प्राचार्यों द्वारा निर्धारित समय–सीमा में भारमुक्त करने की कार्यवाही की जाए।

3. पदोन्नत कर्मचारी नवीन पदस्थापना हेतु 10 दिवस में कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण का पालन प्रतिवेदन प्राचार्य के माध्यम से इस कार्यालय को अग्रेषित किया जाए।

(शारदा वर्मा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र. 463 / 176 / आ.उ.शि. / अराज.स्था. / 23 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक. 06 / 07 / 2023

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग.शसन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. महालेखाकार, रायपुर (छ.ग.)
4. अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
5. आयुक्त उच्च शिक्षा के शीघ्रलेखक उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
6. संबंधित प्राचार्य, महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त करने की सूचना इस कार्यालय को भेजी जावे।
7. संबंधित प्राचार्य, महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ संबंधित कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को भेजी जावे।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
9. संबंधित कर्मचारी ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

वित्त निर्देश 10/2015

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन - नया रायपुर

क्रमांक 96/एफ 2015-01-00588/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-वाहन भत्ता की स्वीकृति ।

संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 303/सी-15388/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007.

वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 248/एल 2013-01-00151/वि/नि/चार, दिनांक 2 जून, 2014.

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 2 जून, 2014 के तहत नया रायपुर में निवासरत कर्मचारियों को नि:शुल्क बस सुविधा अथवा वाहन भत्ता दोनों में से किसी एक को चयन करने का विकल्प है । विकल्प न देने की स्थिति में यह माना जावेगा कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नि:शुल्क बस सुविधा का चयन किया गया है । उक्त सुविधा हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 7-06/2014/1-6, दिनांक 18 जून, 2014 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है ।

2/ ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 18 जून, 2014 में विकल्प देने की निर्धारित तिथि 30 जून, 2014 समाप्त होने के पश्चात् नया रायपुर में निवास प्रारंभ किये है या अपना विकल्प बदलना चाहते है, उन्हें विकल्प बदलने हेतु एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव राज्य शासन के विचाराधीन था ।

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

3/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि नया रायपुर में निवासरत शासकीय कर्मचारियों को वाहन भत्ता अथवा निःशुल्क वाहन सुविधा हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के लिए **30 जून, 2015** तक पुनः अवसर दिया जाए । भविष्य में नया रायपुर में निवासरत होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को उनके आवास धारण की तिथि से 1 माह के भीतर विकल्प देना होगा, अन्यथा यह माना जाएगा कि उन्होंने निःशुल्क बस सुविधा हेतु विकल्प दिया है ।

15/04/2015

(एस.के.चकवर्ती)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

क्रमांक 97/एफ 2015-01-00588/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. अपर मुख्य सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

15/04/15

(ज्योति ठाकुर सोरी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg

वित्त निर्देश 14/2013

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 107/एफ-1005279/वित्त/नियम/चार/2013 रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-राज्य शासन के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करने बाबत् ।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के कर्मचारियों को निम्नानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 4 (तीन) (ख) के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत ऐसे शासकीय सेवक जो बिन्दु क्रमांक (2) के अनुसार पात्रता नहीं रखते है, को 250 रूपये प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता की पात्रता होगी ।

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के ऐसे सदस्यों को, जो हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) की-डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में विभाग अथवा कार्यालय द्वारा आयोजित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करते हो, उन्हें रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता की पात्रता होगी ।

2/ इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के यू.ओ. क्रमांक 136, दिनांक 28.03.2013 द्वारा सहमति दी गई है ।

यह आदेश दिनांक 1.2.2013 से प्रभावशील होगा ।

(एस0के0 चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग

NayakD:\Documents and Settings \RAJESH\My Documents\VitNerdesh\pdf_2013\Doc File\14.doc

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

पृ०क्रमांक 108/एफ-1005279/वित्त/नियम/चार/13 रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ०ग०) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग

Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

समयमान वेतनमान योजना, 2006

1. शासकीय सेवकों के लिए क्रमोन्नति योजना के बदले समयमान वेतनमान योज 2006— राज्य शासन आदेश।

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008 रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल, 200

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

विषय:—छत्तीसगढ़ राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतन (Time Sca Pay) उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ:—सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99, दिनांक 17 मा 1999/19-4-99 तथा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17-5-2000.

राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित तथा समयबद्ध अव उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वर्तमान में प्रभावशील क्रमोन्नति योजना को संशोधित करते हुए समयम वेतन उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार योजना प्रभावशील की जाती है :—

2. यह संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील होगी तथा इसका लाभ उन सिवि सेवाओं के सदस्यों को उपलब्ध होगा जिनके लिये पृथक् से कोई विशिष्ट योजना प्रभावशील नहीं है

3. इस योजना के अंतर्गत सिविल सेवा के जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है, उनमें "अ तथा "ब" वर्ग के सिविल सेवाओं के सदस्यों को उच्चतर वेतनमान का लाभ सेवा में नियुक्ति के पश्च 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तथा "स" वर्ग की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में नियुक्ति के पश्चात् 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर उपलब्ध होगा। 'सीधी भर्ती के पदों/सेवा में नियुक्ति से तात्पर्य विभागीय भर्ती नियम के अनुसार सीधी भर्ती हेतु निर्धारित संवर्ग में स्वीकृत पदों पर लोक से आयोग के माध्यम से, विभागीय भर्ती नियम के अनुसार चयन/प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, ऐसी सीधि विभागीय चयन परीक्षा द्वारा जिसमें सभी विभाग के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं अथवा संवर्गीय पदोन्

5. इस योजनांतर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन र्हताओं को पूर्ण करना होगा जो पदोन्नति के लिये निर्धारित है। यदि सेवा भर्ती नियमों के अंतर्गत जिस वर्ग में पदोन्नति होती है उसका वेतनमान इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत उच्चतर वेतनमान से भी च्चतर है तो सीधी भर्ती वाले संवर्ग का श्रेणीकरण कनिष्ठ श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी, तथा प्रवर श्रेणी जैसा उपयुक्त में किया जायेगा। यदि इस योजनांतर्गत देय उच्चतर वेतनमान पदोन्नत संवर्ग के वेतनमान से उच्चतर तो इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाला उच्चतर वेतनमान व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करेगा और सके लिये सेवा भर्ती नियमों में सीधी भर्ती वाले संवर्ग का पृथक् से श्रेणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

6. ऐसे शासकीय सेवक, जिनके द्वारा इस संशोधित योजना के अंतर्गत देय उच्चतर वेतनमान लिये निर्धारित आवश्यक सेवा अवधि पूरी की जा चुकी है उनको उक्त निर्धारित सेवा अवधि के पश्चात् स योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान, (जो भी लागू हो) का लाभ दिनांक 1-4-2006 से प्राप्त होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 17-3-99/19-4-99, एफ 1-1/1/वेआप्र, दिनांक 17-5-2000 एवं एफ 10-3/2007/1-3, दिनांक 28-7-2007 के अनुसार लागू क्रमोन्नति वेतनमानों के अंतर्गत प्रदत्त लाभ के प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा।

7. इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान पर नियुक्ति की तिथि पर वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22 (ए) [i] के अनुसार किया जाएगा तथा वेतनवृद्धि की तिथि पूर्ववत् ही रहेगी।

8. सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति होने पर यदि वह पहले से इस योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद के वेतनमान पर नियुक्त है, तो उसे पदोन्नति पश्चात् वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 डी के अंतर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 (ए) [ii] के अंतर्गत, जो भी अधिक लाभदायक हो, का लाभ उपलब्ध होगा। यदि पदोन्नति के समय पहले से ही इस योजना के अंतर्गत उक्त पदोन्नति के पद के वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में नियुक्त है, तो वह उच्चतर वेतनमान का धारण पदोन्नति पश्चात् भी व्यक्तिगत रूप से करेगा।

9. यदि इस योजना के अंतर्गत प्रथम उच्चतर वेतनमान में नियुक्त रहते हुये कोई शासकीय सेवक उसी वेतनमान में पदोन्नति का लाभ प्राप्त करता है तो उसके द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता की गणना प्रथम उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने की तिथि से की जावेगी।

10. दिनांक 1-4-2006 को यदि उच्चतर वेतनमान की पात्रता के लिये निर्धारित सेवा अवधि अथवा उससे अधिक सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है तो प्रथम उच्चतर वेतनमान की पात्रता दिनांक 1-4-2006 से होगी। दिनांक 1-4-2006 को यदि द्वितीय उच्चतर वेतनमान के लिये निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर ली गई है तो उसे सीधे द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता होगी।

11. यदि किसी शासकीय सेवक की दिनांक 1-4-2006 को प्रथम उच्चतर वेतनमान के लिये निर्धारित सेवा अवधि से अधिक सेवा अवधि है तो अधिक सेवा अवधि द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता के लिये गणना में ली जावेगी। उदाहरणार्थ— यदि प्रथम उच्चतर वेतनमान के लिये 8 वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित है और दिनांक 1-4-2006 को उसकी कुल सेवा अवधि 12 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है तो, शेष 4 वर्ष की सेवा अवधि द्वितीय उच्चतर वेतनमान हेतु गणना में ली जावेगी अर्थात् जिस भी दिनांक को

शासकीय सेवक का वेतन निर्धारण मूलभूत नियमों के सामान्य नियमों के अंतर्गत किया जायेगा। ऐ मामलों में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22 ए [i] के अंतर्गत नहीं होगा।

13. यदि किसी शासकीय सेवक को सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र में अंकित परिप के द्वारा क्रमोन्नति योजना के अंतर्गत प्रथम अथवा द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ मिल चुका है तो ऐसे मामल में इस परिपत्र के अंतर्गत प्रथम अथवा द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता की उपयुक्तता के लि गोपनीय प्रतिवेदनों के पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में कार्यालय प्रमुख उच्चत वेतनमानों का लाभ देने हेतु सक्षम होंगे।

14. इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ लेने के पश्चात् यदि कोई कर्मचारी ब में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान का ला वापस नहीं लिया जायेगा, परन्तु बाद में उसे किसी अन्य उच्चतर वेतनमान की पात्रता नहीं होगी।

15. विभिन्न वेतनमानों के लिये उच्चतर वेतनमान की पात्रता परिशिष्ट-1 के अनुसार होगी विभिन्न विभागों के विशिष्ट संवर्गों के लिए उच्चतर वेतनमान का प्रावधान इस परिपत्र के प्रपत्र-2 अनुसार किया जाएगा। जिन विशिष्ट संवर्गों का परिशिष्ट-2 में उल्लेख नहीं है उनके संबंध में, प्रचलि क्रमोन्नति योजना में संशोधन हेतु विभागीय प्रस्ताव अनुसार अलग से निर्णय लिया जायेगा। सभी विभाग से अनुरोध है कि वे परिशिष्ट-2 में दर्शाये गये उनके विभाग से संबंधित पदों की जांच कर यह सुनिश्चि कर लें कि ये पद सीधी भर्ती के हैं एवं वेतनमान सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर समुचि संशोधन हेतु वित्त विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

16. इस परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर उच्चतर वेतनमानों में वेत नियतन कर शासकीय कर्मचारी को भुगतान किया जावे। उच्चतर वेतनमानों में वेतन नियतन पश्चा शासकीय कर्मचारी के वेतन नियतन की जांच कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन से करा ली जाये। सभी विभागों में पदस्थ छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के उप संचाल एवं इससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी भी इन प्रकरणों की जांच हेतु अधिकृत होंगे।

17. इस परिपत्र में उल्लेखित व्यवस्था प्रत्येक विभाग के सभी संबंधित भर्ती नियमों में इ परिपत्र के जारी होने के दिनांक से समाहित माने जायेंगे। किन्तु विभागों को संबंधित भर्ती नियमों में इ योजना के अनुरूप आवश्यक संशोधन दिनांक 31-10-2008 तक सुनिश्चित करना होगा।

18. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 19 अप्रैल 1999 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 17-5-2000 में दर्शित प्रावधानों को इस परिपत्र की सीमा त संशोधित माना जाए।

इस परिपत्र के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(एस.के. चक्रवर्ती)

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने की योजना अंतर्गत देय उच्चतर वेतनमान

क्र.	वर्ग	प्रारंभिक वेतनमान	प्रथम उच्चतर वेतनमान	द्वितीय उच्चतर वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वर्ग-अ	10000-15200	12000-16500	14300-18300
2	वर्ग-ब	8000-13500	10000-15200	12000-16500
3		6500-10500	8000-13500	10000-15200
4	वर्ग-स	5500-9000 एवं 5000-8000	6500-10500	8000-13500
4क	वर्ग-स	5500-9000	7500-12000	8000-13500
4ख	वर्ग-स	5000-8000	6500-10500	8000-13500
5		4500-7000	5500-9000	6500-10500
6		4000-6000	4500-7000	5000-8000
7		3500-5200 एवं 3050-4590	4000-6000	4500-7000

हस्ता./-

(अमिताभ शर्मा)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग.

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

{पूर्वनामः शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)}

फोन नं. 0788.2211688, फैक्स नं. 0788.2212030

क्र. /स्था./2023 दुर्ग, दिनांक / /2023

।। आदेश ।।

संयुक्त सचिव छ.ग. शासन वित्त विभाग रायपुर के आदेश क्रं. 549/418/वित्त/नियम/चार 2023 नवा रायपुंर अटल नगर दिनांक 18.08.2023 के अनुसार त्यौहार अग्रिम की राशि 10000 किये जाने के फलस्वरूप निबंधन एवं शर्तो के अधीन निम्नलिखित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दीपावली त्यौहार हेतु अग्रिम राशि 10000/- रू. भुगतान स्वीकृत किया जाता है वसूली 10 बराबर किस्तों में की जायेगी।

विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन	राशि
1	श्रीमती किरण राखी पटले	प्रयोगशाला तकनीशियन	37300	10000
2	श्री राकेश कुमार साहू	डाटा ऐंट्री आपरेटर	36400	10000
3	श्री गुलशन लाल देवांगन	सहायक ग्रेड' 02	30300	10000
4	श्री प्रदीप कुमार	प्रयोगशाला तकनीशियन	26100	10000
5	श्रीमती चमेली साहू	प्रयोगशाला तकनीशियन	26100	10000
6	श्री साजन कुमार दुबे	प्रयोगशाला तकनीशियन	26100	10000
7	श्री कुमार कन्नौजे	प्रयोगशाला परिचारक	23500	10000
8	श्रीमती रंजना कश्यप	प्रयोगशाला परिचारक	22100	10000
9	श्री केशव राम साहू	प्रयोगशाला परिचारक	21500	10000
10	श्री अनिल कुमार साहू	प्रयोगशाला परिचारक	22100	10000
11	श्री गंगा प्रसाद	स्वीपर	28200	10000
12	श्री मोहित सिन्हा	भृत्य	21600	10000
13	श्री के. बम्हनायडू	**चौकीदार**	26600	10000
	योग	**एक लाख तीस हजार रूपये मात्र**		**130000/-**

-Sd-

(डॉ. आर. एन. सिंह)

प्राचार्य

शा.वि.या.ता.स्ना.स्वशा.महावि दुर्ग(छ.ग.)

पृ.क्र. 1747 स्था. /2023 दुर्ग, दिनांक 10/10/2023

प्रतिलिपि :

1. जिला कोषालय अधिकारी दुर्ग को सूचनार्थ।
2. स्थापना शाखा /व्यक्तिगत नस्ती

(डॉ. आर. एन. सिंह)

प्राचार्य

शा.वि.या.ता.स्ना.स्वशा.महावि दुर्ग (छ.ग)

CG STATE HANDLOOM DEVELOPMENT & MARKETING CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.,
L-26, SECTOR-07, FRONT OF VIJETA COMPLEX NEW RAJENDRA NAGAR, RAIPUR (C.G.) MOBILE NO. 8889600740
E-mail: cghandloom@gmail.com

Credit Bill

GSTN No. :- 22AAAAC2043C1ZR
Tax is payable on reveres charge(yes/no)
Invoice Serial No.:- A- 809
Invoice Date :- 05.01.2024

Order No. :- **2132**
Order Date :- **29.12.2023**
Name of Receiver :- श्री गंगा प्रसाद
Mobile No. :- 9981019531
Place :- **Durg**

Detail of Receiver (Billed to)

Name :- प्राचार्य
शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग
Address :- जिला :- दुर्ग (छ.ग.)
State :- CHHATTISGARH
State code :-
GSTN No.-

Transportation Mode :- BY HAND
Vehicle No. :-
Date & Time of supply :-
Place of supply :-

S. No.	Description of Goods	HSN Code (GST)	Qty	Mtrs.	Rate	Total	Discount	Taxable Value (7-8)	CGST Rate of %	CGST Amount	SGST Rate of %	SGST Amount	Total (9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	टेरीकाट शूटिंग सफेद	5513	0	44.435	214.33	9523.75		9523.75	2.50	238.09	2.50	238.09	9999.94
								9523.75		238.09		238.09	9999.94

Passed for payment Rs. 10000 (w)
in words... ten thousand only
Principal

Paid & Cancelled
Registrar
Acctt.

GST = 476.19

Total	9999.94
Freight Charges	
Loading and Packing Charges	
Insurance Charges	
Other Charges	
Invoice Total	**10000.00**

TERM & CONDITION

In Words :- **Ten Thousand Rupees Only**

Amount of Tax Subject to Reverse Charge

TERM & CONDITION

विपणन सहायक
छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं
विपणन सहकारी संघ मर्या., रायपुर (छ.ग.)

Signature :
Authorized Signatory
Name : विक्रय प्रबंधक
Designation : छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर

D:\VIPANAN EXCEL FILE\Sell Billing 2022-23 A New2023-24 (Autosaved)24(Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

any in the above format.

Verified By (DDO)
(Seal of the DDO)

17/03/2020

लेखा प्रभारी
छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं
विपणन सहकारी संघ मर्या., रायपुर

प्रबंधक
छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं
विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर

Scanned with CamScanner